

**न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)**  
**छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत**  
**परमिशन वाद संख्या 55 वर्ष 2023**

आवेदक—सुखदेव महतो वगै०  
 ग्राम—बाराडीह,  
 थाना—नावाडीह, जिला—बोकारो

क्रेता—दिलीप कुमार महतो  
 ग्राम—बाराडीह,  
 थाना—नावाडीह, जिला—बोकारो

आदेश की  
 क्र० सं० एवं  
 तारीख  
 01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर  
 कार्यवाई के  
 टिप्पणी ता  
 साथ।

03

**आदेश**

यह वाद आवेदक 1. सुखदेव महतो, 2. सुखलाल महतो, 3. जीवलाल महतो, तीनों के पिता—स्व० बुधन महतो, 4. लखन महतो, पिता—स्व० कार्तिक महतो, निवास ग्राम—बाराडीह, थाना—नावाडीह, जिला—बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

| मौजा    | थाना न० | खाता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा | बिक्री रकबा           | भूमि दर्जा |
|---------|---------|---------|----------|----------|-----------------------|------------|
| बाराडीह | 56      | 107     | 3609     | 1.90 ए०  | 0.38 $\frac{1}{4}$ ए० | टांड II    |

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 2,44,000/रु०—(दो लाख चौवालीस हजार ) रुपये में क्रेता—दिलीप कुमार महतो, पिता—छेदी महतो, निवास ग्राम—बाराडीह, थाना—नावाडीह, जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक—615/सं०, दिनांक 29.05.23 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक—47, दिनांक 12.04.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में धीरजु महतो वल्द आतमाराम महतो के नाम से दर्ज है। ऑननलाईन पंजी- II के पृष्ठ सं० 369/II में हरलाल महतो, बुधन महतो, कार्तिक महतो, ननकु महतो, रति महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उत्तरे द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में धीरजु महतो वल्द आतमाराम महतो के नाम से दर्ज है। ऑननलाईन पंजी- II के पृष्ठ सं० 369/II में हरलाल महतो, बुधन महतो, कार्तिक महतो, ननकु महतो, रति महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उपरोक्त उपर्युक्त में निम्नलिखित

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति है

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति

नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ध्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित

से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता

हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही

भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर

वेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक 1. सुखदेव महतो, 2. सुखलाल महतो, 3. जीवलाल

बुधन महतो, 4. लखन महतो, पिता- स्व० कार्तिक महतो, निवास- ग्राम- बाराडीह

जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

| मौजा        | खता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा                                                  | बिक्री रकबा | उत्तर सीमा | द०सीमा             | पूरब सीमा | पश्चिम सीमा       |
|-------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|
| बाराडीह, 56 | 107    | 3609     | 1.90 ए०                                                   | 0.38 1/4 ए० | रोड        | स्व बुधन महतो वगै० | अरतु महतो | दिलचन्द महतो वाके |
| कुल         |        |          | 38 1/4 डी० (अड़तीस पूर्णांक एक बटा चार डिसमिल जमीन मात्र) |             |            |                    |           |                   |

मौ० 2,44,000/- (दो लाख चौवालीस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता दिलीप कुमार महतो, पिता-छेदी महतो, निवास ग्राम-बाराडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

22.6.24

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेरमों (तेनुघाट)।

22.6.24

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेरमों (तेनुघाट)।

22.6.24